



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2087। नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर, 28, 2015/आश्विन 6, 1937

No. 2087। NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2015/ASVINA 6, 1937

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
(संवैधनिक निकाय शहरी विकास मंत्रालय —दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2015

का.आ. 2637(अ)।—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) की धारा 5 (1)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए अथवा किए जाने हेतु छोड़ दिए कार्यों के अलावा, दिनांक 14 फरवरी, 2014 के अनुक्रम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड केन्द्र सरकार के अनुमोदन से एवं द्वारा सचिव पर्यावरण और बन मंत्रालय को सहयोजित सदस्य नामित करती है।

मुख्य अधिसूचना दिनांक 14-2-2014 के का.आ. संख्या 401(अ) के तहत जारी की गई थी।

[सं. के-14011/1/2014-रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड]

डॉ. के. वर्मा, सहायक निदेशक(वित्त)

NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD
(Statutory Body, Ministry of Urban Development—Delhi Division)
NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2015

S.O. 2637(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5(1) of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985) and in supersession of the earlier Notifications except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the National Capital Region Planning Board with the approval of Central Government hereby nominate Secretary, Ministry of Environment & Forest as ex-opted Member in the National Capital Region Planning Board.

The principal notification was issued vide S.O. 401(E) Dated the 14th February, 2014.

[No. K-14011/1/2014-NCRPB]

D. K. VERMA, AD. (F)